

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद

पत्रांक: एस.एस.ए./ए०आर०पी० चयन /

/2026-27 दिनांक: 21/10/2026

विज्ञप्ति

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्थापित ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक: गुण०वि०/ए०आर०पी०/2058/2026-27 दिनांक 24 जून, 2026 एवं शानसनादेश संख्या: 1/1358920/2026, 68-5099/375/2025-अनुभाग-5(बेसिक शिक्षा) दिनांक 15 जून, 2026 प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद मुरादाबाद के विकासखण्डों एवं नगर संसाधन केन्द्रों हेतु अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) के रिक्त 10 पदों पर चयन हेतु बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र० के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं से विकासखण्डवार निम्नांकित प्रतिबन्धों के आधीन केवल पंजीकृत डाक / रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आवेदन पत्र दिनांक 05 नवम्बर, 2026 तक निर्धारित प्रारूप पर (सील बन्द लिफाफा में) आमंत्रित किये जाते हैं। अकादमिक रिसोर्स पर्सन के रिक्त पदों का विकासखण्डवार विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	विकास खंड का नाम	विकासखण्डवार अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) के रिक्त पदों का विवरण
1	भगतपुर टांडा	1
2	छजलैट	1
3	बिलारी	2
4	कुन्दरकी	1
5	मुरादाबाद नगर	3
6	मूढापाण्डे	2
कुल योग		10

नोट- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने अथवा निर्धारित दिनांक के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद कार्यालय में प्राप्त होने अथवा पंजीकृत डाक/रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से प्रेषित न किये जाने वाले आवेदन पत्रों पर बिना किसी विभागीय पत्राचार के निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कार्यकाल: - अकादमिक रिसोर्स पर्सन का कार्यकाल 01 वर्ष हेतु निर्धारित होगा तथा प्रत्येक वर्ष परफारमेन्स अप्रैजल (Performance Appraisal) के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात इनका नवीनीकरण किया जायेगा। ए०आर०पी० के कार्यकाल की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी।

अर्हता एवं शर्त:-

- स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता।
- परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 05 वर्ष का शिक्षण अनुभव।
- सेवानिवृत्त होने में न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि शेष हो।
- आवेदक/अभ्यर्थी पर किसी भी प्रकार की जांच गतिमान न हो और न ही पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोष सिद्ध हुआ हो।
- विकासखण्डवार रिक्तियों की संख्या के अनुसार विकासखण्डवार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
- ए०आर०पी० के रूप में अधिकतम 03 वर्ष कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु अनर्ह होंगे, परन्तु यदि समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्थापित ब्लॉक संसाधन केन्द्रों पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु निर्धारित पद के सापेक्ष कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति में 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
- लिखित परीक्षा 70 अंकों की होगी।
- साक्षात्कार (विषयगत जानकारी, स्व-प्रेरण, नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता, प्रारम्भिक शिक्षा के प्रति विजन आदि) 30 अंकों की होगी।
- लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिये अर्ह होंगे।
- लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तियों के आधार पर चयन हेतु मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
- आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आवेदित विकास खंड का नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
- शिक्षण अनुभव एवं आयु की गणना का आधार कार्यालय ज्ञाप तिथि से मानी जायेगी।

14. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यवाही उक्त शासनादेश के अनुसार की जायेगी।
15. अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) के आवेदन हेतु प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है।
16. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिये अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) को प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पर्यवेक्षण पूर्ण करने पर मोबिलिटी भत्ता रू०- 4500/- प्रति माह की दर से मोबिलिटी देयक पत्रक प्रस्तुत करने पर नियमानुसार देय होगा। वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जायेगी, यात्रा भत्ता के अतिरिक्त किसी प्रकार का इन्सेन्टिव नहीं दिया जायेगा। अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) का वेतन कार्यरत मूल विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
17. अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन के संबंध में प्राप्त शिकायत अथवा विवाद के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी को अधिकृत किया जाता है तथा इस संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
18. पदों की संख्या आवश्यकानुसार घटाई / बढ़ाई जा सकती है।

उक्तानुसार पदों पर चयन हेतु मापदण्ड एवं अन्य दिशा-निर्देश शासनादेश दिनांक 15 जून, 2026 के अनुसार होंगे। शिक्षण अनुभव एवं सेवा निवृत्ति हेतु न्यूनतम अवधि की गणना दिनांक 05 नवम्बर, 2026 से की जायेगी। ए०आर०पी० हेतु आवेदन पत्र जिला मुख्यालय एवं बी०आर०सी० पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोर्ट रोड, मुरादाबाद, पिन कोड-244001 पर पंजीकृत डाक / रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 05 नवम्बर, 2026 सायं 05:00 बजे तक है।

उपर्युक्त के अनुसार अन्तिम तिथि में यदि परिवर्तन होता है तो उक्त के सम्बन्ध में सूचना कार्यालयज्ञाप/ब्लॉकवार जनपद स्तर पर बने व्हाट्स एप ग्रुप के माध्यम से दी जायेगी।

संलग्नक: - उक्तवत्

(अमित सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद

पत्रांक: एस.एस.ए./ ए०आर०पी० चयन / 4728-35

/2026-27 दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
4. उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कांठ, मुरादाबाद।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की वेबसाइट:- <https://moradabad.nic.in/> पर भी जारी कराने का कष्ट करें।
6. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से सम्बन्धित विकास खण्ड में उक्त विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये अधिक से अधिक शिक्षक/शिक्षिकाओं को आवेदन करने हेतु प्रेरित करना सुनिश्चित करें, साथ ही इस पत्रालेख को अपने सूचना पट्ट पर चस्पा करें।
7. सम्पादक, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद स्तर पर अति सूक्ष्म स्थान में न्यूनतम शासकीय दर पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8. पत्रावली हेतु।

(Nup 79)

(Signature)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद